

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग  
॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक-20-5-2014

संख्या -3/एम-098/2010सा०प्र०...../ भारत संविधान के अनुच्छेद- 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल "बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2011" (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ** :- (1) यह नियमावली "बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2014" कही जा सकेगी।  
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।  
(3) यह तुरत प्रवृत्त होगी।

2. उक्त नियमावली, 2011 का नियम- 5 का उपनियम (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

(1) निम्नवर्गीय लिपिक का 85% पद सीधी भर्ती से भरे जायेंगे और 15% पद समूह 'घ' के वैसे कर्मी जो लिपिक के पद पर नियुक्ति की अर्हता रखते हों से, बिना किसी परीक्षा के, वरीयता क्रम में, भरे जायेंगे। सीधी भर्ती के 85% पदों में से 10% पद अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए आरक्षित रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(19.5.14)  
(बशिष्ठ सिंह)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञाप संख्या -3/एम-098/2010 सा०...../

पटना, दिनांक 20-5-2014

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(19.5.14)  
(बशिष्ठ सिंह)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञाप संख्या -3/एम-098/2010 सा०...../

पटना, दिनांक 20-5-2014

प्रतिलिपि :- सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(19.5.14)  
(बशिष्ठ सिंह)

सरकार के विशेष सचिव।

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

पटना-15, दिनांक-..... 2014

संख्या -3/एम-098/2010सां०प्र०...6566.../ अधिसूचना संख्या 6561... दिनांक 20.5.14  
.....का निम्नलिखित अंगरेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद द्वारा प्रकाशित  
किया जाता है, जो भारत-संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन अंगरेजी भाषा में  
इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(बशिष्ठ सिंह)

सरकार के विशेष सचिव।

Government of Bihar  
General Administration Department  
NOTIFICATION

Patna-15, dated. 20.5.2014

No.-3/M-098/2010-GAD...6561.../In exercise of Power conferred by proviso to  
Article -309 of the constitution of India, the Governor of Bihar, is hereby pleased to  
make the following Rules to amend. "The Bihar Collectorate Clerical Cadre (recruitment  
and conditions of services) Rules, 2011" (as amended time to time).-

1. **Short title, extent and commencement.**- (1) These Rules may be called as the  
"Bihar Collectorate Clerical Cadre (recruitment and conditions of service)  
(Amendment) Rules 2014."  
(2) It shall extend to whole of the State of Bihar.  
(3) It shall come into force at once.
2. Sub Rule (1) of Rule- 5 of the Rule, 2011" shall be substituted by the following:-  
(1) 85% post of LDC shall be filled up by direct recruitment and 15% post shall be  
filled up by seniority order from such Group "D" employee who have the  
qualifications for the appointment in clerical post, without examination. 10% posts  
of the 85% posts of direct recruitment, shall be reserved for the appointment on  
compassionate ground.

By the order of the Governor of Bihar

(Bashisth Singh)

Special Secretary to Government

ज्ञाप संख्या -3/एम-098/2010सां०प्र०...6566.../ पटना, दिनांक 20-5-2014  
प्रतिलिपि- अधीक्षक सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के  
असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(बशिष्ठ सिंह)  
सरकार के विशेष सचिव।